राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – साधुराम जाट (आर0ए0एस0)

वा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
3/17	15.06.2017	04.09.2018

अनुवान

जीतराम पुत्र छीतर जाति जाट निवासी नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

धनकोर पत्नी नत्थू जाति जाट निवासी सुठानी तहसील बावल

मातादीन पुत्र छीतर जाति जाट निवासी नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

बलबीर पुत्र रामकिशोर

कमलसिंह पुत्र जलेसिंह

बिमला पत्नी स्व0 जलेसिंह जातियान जाटान निवासीयान नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:—वादीगण

बनाम

छनकौर पत्नी जगल (हजफ)

गंगाराम

धर्मसिंह पुत्रान श्री जगल जातियान जाट निवासीयान नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

बनवारी पुत्र सवाई जाट

अमरसिंह पुत्र शिवजी

श्रीकृष्ण

गिर्राज

उपखण्डाधिकारी
मण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

8. करणसिंह पुत्रान

9. प्रेम पुत्री शिवजी

10. जसवंत पुत्र लक्ष्मण

11. शांति पत्नी लक्ष्मण

12. कांता पत्नी जसराम

13. विरेन्द्र

14. विकास पुत्रान जसराम जाति जाट निवासी नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

15. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

:— प्रतिवादीगण

दावा—इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज 88, 89, 188
राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति :
1. श्री रणवीर सिंह यादव वकील—वादीगण

—:: निर्णय::—

दिनांकः— 04.09.2018

आज यह वाद पत्र पत्रावली वास्ते सुनाये जाने निर्णय आदेश पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि विवादित हाल आराजी ख0न0 504/0.81, 439/0.18 वाके ग्राम नगंली ओझा तहसील मुण्डावर में स्थित है। आराजी मुतनाजा वादीगण के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। कदिमी से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है मौके पर आज भी वादीगण अलग—अलग ख0नम्बरान में अपने अपने काबिज होकर काश्त कर रहे है। आराजी मुतनाजा से असल प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार ना कभी पहले था, ना ही आज है। बिना किसी बाधा के वादीगण हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

आराजी ख0न0 504 में वादीगण संख्या 1 लगायत 6 की खातेदारी की आराजी है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व 6 लगायत 14 के पूर्वज जगल पुत्र जयराम व शिवजी पुत्र लक्खू जाट व प्रतिवादी संख्या 5 के नाम खिलाफ मौका खिलाफ कानून शिकमी दर्ज है जबकि उक्त ख0न0 पर तन्हा वादीगण संख्या 1 लगायत 6 कदिमी काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। इसलिए उक्त ख0न0 से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 के पूर्वजों के नाम शिकमी के रूप में हो रहे इन्द्राज को हजफ किया जाना न्यायसंगत है एवं हाल ख0न0 439 वादीगण 1 व 3 लगायत 6 के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। मौके पर अपने अपने हिस्सा मुताबिक काबिज होकर काश्त कर रहे है। उक्त आराजी ख0न0 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 के नाम राजस्व रिकार्ड में खिलाफ मौका व खिलाफ कानून शिकमी के रूप में दर्ज कर दिये है। शिवजी पुत्र लक्खू व जगल पुत्र जयराम जाट के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो फौत हो चुके है इसलिए उनके वारिसान को प्रतिवादी की जद में पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 के पूर्वजों के नाम शिकमी के रूप में हो रहे इन्द्राज को हजफ किया जाना न्यायसंगत है।

आराजी मुतनाजा के हिस्सा कब्जा बाबत मौके पर कोई विवाद नहीं है। रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम शिकमी के रूप में अमल आने से वादीगण को आराजी मुतनाजा को विनिमय करने, क्रेडिट कार्ड बनवाने, बेचान आदि करने में असुविधा हो रही है। इस प्रकार वादीगण आराजी मुतनाजा के खातेदार काश्तकार रहते हुए भी सुविधाजनक अधिकारों से वंचित रहना पड रहा है। खिलाफ मौका व खिलाफ कानून शिकमी के रूप में इन्द्राज राजस्व कर्मचारियों ने कर दिया जो फौरी तौर पर किया गया है। वास्तविक रूप से प्रतिवादीगण का आराजी से कोई ताल्लुक नहीं, कब्जा नहीं, कोई हित व अधिकार नहीं है। इसलिए रिकार्ड गैरवास्ता व्यक्तियों के नाम रहने से वादीगण के पूर्ण खातेदारी काश्तकारी के अधिकारों पर कुठाराघात होता है। दिनांक 03.04.2017 को कुछ ख0न0 का विनिमय करने बाबत रिकार्ड की नकलें लेने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई। नकलें लेकर प्रतिवादीगण से सम्पर्क किया तो ताल–बाल की नियती दिखाई, इसलिए दावा दुरूस्ती इन्द्राज करना लाजिम आया का निवेदन करते हुए बाद वादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि डिक्री इश्तकरारहक मय दुरूस्ती

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

Scanned by CamScanner

इन्द्राज बहकवादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की फरमाई जावे कि विवादित आराजीयात में वादीगण के नाम व हिस्से यथावत रखते हुए प्रतिवादीगण के नाम या उनके पूर्वजों के नाम शिकमी के रूप में हो रहे इन्द्राज को राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादीगण 1 लगायत 14 ने जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना इकबाल जवाब दावा पेश किया। मुताबिक इकबाल जवाब प्रतिवादीगण ने वादीगण के वादपत्र को स्वीकार करते हुए वाद वादीगण डिक्री फरमा दिया जावे हम सहमत है, कोई एतराज नही होगा के बाबत का पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी संवत 2072–75 किता 2 प्रदर्श–1 एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र जीतराम ीडब्ल्यू–1, मातादीन पीडब्ल्यू–2, रामसिंह पीडब्ल्यू–3, महेन्द्र पीडब्ल्यू–4 पेश किये जो ामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का हनता से अध्ययन किया गया। वकील वादी ने दौराने बहस वादीगण के वादपत्र के नमनों को दोहराते हुए प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये इकबाल जवाब के कथनों को हराते हुए हाल राजस्व रिकार्ड पर से प्रतिवादीगण के नाम या उनके पूर्वजों के नाम का ाकमी के रूप में हो रहे इन्द्राज को राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड रूस्त किया जाकर वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन रहा।

वकील वादीगण की बहस पर मनन किये जाने उपरांत, पत्रावली व पत्रावली में स्तुत दस्तावेजात व इकबाल जवाब के अवलोकन से यह न्यायालय वादीगण के वाद को ीकार योग्य पाता है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः यह न्यायालय वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में हाल आराजी ख0न0 504/0.81 है0 एवं 439/0.18 है0 वाके ग्राम नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत वाद वादीगण डिक्री किया जाता है एवं उपरोक्त आराजी मुतनाजा में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व 6 लगायत 14 के पूर्वज जगल पुत्र जयराम, शिवजी पुत्र लक्खू जाट एवं अमरसिंह पुत्र शिवजी के नाम का शिकमी के रूप में हो रहे अंकन को हजफ करने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 04.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

04/9/18

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – साधुराम जाट (आर0ए0एस0)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
153/17	15.06.2017	04.09.2018

अनुवान

1. जीतराम पुत्र छीतर जाति जाट निवासी नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
2. धनकोर पत्नी नत्थू जाति जाट निवासी सुठानी तहसील बावल
3. मातादीन पुत्र छीतर जाति जाट निवासी नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
4. बलबीर पुत्र रामकिशोर
5. कमलसिंह पुत्र जलेसिंह
6. बिमला पत्नी स्व0 जलेसिंह जातियान जाटान निवासीयान नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:–वादीगण

बनाम

1. छनकौर पत्नी जगल (हजफ)
2. गंगाराम
3. धर्मसिंह पुत्रान श्री जगल जातियान जाट निवासीयान नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
4. बनवारी पुत्र सवाई जाट
5. अमरसिंह पुत्र शिवजी
6. श्रीकृष्ण
7. गिर्राज

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

8. करणसिंह पुत्रान
9. प्रेम पुत्री शिवजी
10. जसवंत पुत्र लक्ष्मण
11. शांति पत्नी लक्ष्मण
12. कांता पत्नी जसराम
13. विरेन्द्र
14. विकास पुत्रान जसराम जाति जाट निवासी नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
15. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

:– प्रतिवादीगण

दावा–इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज 88, 89, 188
राज0काश्त0अधि0 1955

–::पर्चा डिक्री::–

दिनांकः– 04.09.2018

वादीगण की ओर से **श्री रणवीर सिंह यादव वकील** की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 04.09.2018 को **साधुराम जाट उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

आराजी ख0न0 504/0.81 है0 एवं 439/0.18 है0 वाके ग्राम नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत वाद वादीगण डिक्री किया जाता है एवं उपरोक्त आराजी मुतनाजा में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व 6 लगायत 14 के पूर्वज जगल पुत्र जयराम, शिवजी पुत्र लक्खू जाट एवं अमरसिंह पुत्र शिवजी के नाम का शिकमी के रूप में हो रहे अंकन को हजफ करने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 04.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी सह
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner